

## मांग संख्या 67

### मुख्य शीर्ष 2059

#### मद क्रमांक 1

खेल प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर में स्थापित एच.व्ही.ए.सी. एवं विद्युतीकरण कार्य की अनुमानित लागत राशि ₹ 166.94 लाख है। जिस पर इस वर्ष राशि ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी।

#### मद क्रमांक 2

अतिविशिष्ट अतिथियों का भ्रमण हेतु 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 4059

#### मद क्रमांक 3

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के माननीय न्यायाधीशों के लिए विश्राम गृह निर्माण हेतु ₹ 500.00 लाख, पेंडारोड के व्यवहार न्यायालय के विस्तार हेतु एवं न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासगृह निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु ₹ 53.09 लाख तथा जिला सूरजपुर में नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण हेतु राजस्व वन भूमि रकबा 1.82 हेक्टेयर का वन व्यपवर्तन किये जाने हेतु ₹ 49.42 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 6,02,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

अ. लोक निर्माण विभाग-भवन योजनांतर्गत निम्नलिखित भवन निर्माण कार्यों को अनुपूरक अनुदान में शामिल किया गया है। इस वर्ष व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा:-

1. रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाऊस परिसर में पुराने भवन के स्थान पर पार्किंग तथा अतिरिक्त कक्ष का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य (एनेक्सी भवन) (अनुमानित लागत ₹ 700.00 लाख)
2. ट्रांजिट हॉस्टल बैरनबाजार रायपुर में रिनोवेशन एवं लघुमूल कार्य (अनुमानित लागत ₹ 200.00 लाख)
3. सरिया में विश्रामगृह भवन का निर्माण (अनुमानित लागत ₹ 400.00 लाख)
4. ग्राम बगिया में विश्राम गृह का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 700.00 लाख)
5. जनपद मुख्यालय-ओड़ुगी में विश्राम गृह का निर्माण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 50.00 लाख)

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल राशि ₹ 500 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

ब. लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवन, विश्रामगृह, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की प्रदाय, स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य (अनुमानित लागत ₹ 4400.00 लाख) हेतु इस वर्ष ₹ 500.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल राशि ₹ 5,00,00,500 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5 से 6

केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत जशपुर में नवीन परिवार न्यायालय भवन निर्माण तथा जिला न्यायालय भवन जांजगीर-चांपा में निर्माण कार्य हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

भूतपूर्व सैनिक कल्याण एकीकृत परिसर सह मेडिकेयर परिसर रायगढ़ के निर्माण हेतु ₹ 127.36 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,27,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 4202

#### मद क्रमांक 8

शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर के मुख्य भवन एवं छात्रावास भवन में अग्नि सुरक्षा कार्य हेतु ₹ 75.00 लाख का व्यय संभावित है।

शासकीय पॉलीटेक्निक खैरागढ़ के संस्था परिसर में निर्मित 50 सीटर नवीन कन्या छात्रावास भवन में 03 अतिरिक्त क्लासरूम निर्माण हेतु ₹ 28.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 1,03,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद कर्मांक 9**

1. शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु राशि ₹ 159.00 लाख का व्यय संभावित है।
2. नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण किये जाने हेतु कुल अनुमानित लागत ₹ 6200.00 लाख है। जिस पर इस वर्ष राशि ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।
3. वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल जिला रायगढ़ के विभिन्न खेलों से संबंधित कार्य को परिवर्तित करते हुये 'इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स काम्पलेक्स' निर्माण किये जाने हेतु कुल अनुमानित लागत ₹ 10550.00 लाख है। जिस पर इस वर्ष ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,59,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी।

#### **मद कर्मांक 10**

राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई जिला बिलासपुर परिसर स्थित बालक छात्रावास के प्रथम तल निर्माण एवं भू-तल में अतिरिक्त टायलेट निर्माण किये जाने हेतु कुल अनुमानित लागत राशि ₹ 327.55 लाख है। जिस पर इस वर्ष राशि ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी।

#### **मद कर्मांक 11**

टेनिस अकादमी रायपुर के प्रशासनिक भवन, छात्रावास, जिम, डाइनिंग हाल एवं स्टेडियम को पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर युक्त सुसज्जित करने हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी।